परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094

प.ऊ.शि.सं./सा.प्र./उ.प्र./2019/ 21.05.2019

प.ऊ.कें.वि./कनि. महाविद्यालय के परिसरों में विभिन्न शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/खेल-कूद गतिविधियां आयोजन के लिए विभिन्न संगठनों से परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था द्वारा संग्रहित किए जाने वाले 01.06.2019 से प्रभावी उपयोग प्रभार

विवरण Particulars	बिजली एवं भाड़ा प्रभार Electricity & rental charges	साफ-सफाई प्रभार Cleaning charges	प्रतिदेय प्रतिभूति जमा Refundable Security deposit.
कक्षा/ गलियारा Classroom/ Corridor	प्रथम 2 घंटों तक न्यूनतम रु. 150/- प्रति कक्षा और 2 घंटे के बाद व 4 घंटे तक रु. 300/- और इस पर प्रत्येक अतिरिक्त घंटे के लिए रु.50/- Minimum Rs. 150/- per classroom upto 2 Hrs. Rs. 300/- per classroom- beyond 2 hours and upto 4 hrs. Rs. 50/- per classroom- for every additional hour thereafter.	प्रथम 2 घंटे के लिए रु. 60/- प्रति कक्षा और 2 घंटे के बाद रु. 120/- प्रति कक्षा Rs. 60/- per classroom upto 2 hrs and Rs. 120/- per classroom beyond 2 hrs	रु./Rs.2000/-
बहुप्रयोजन हॉल/ प्रेक्षागृह Multipurpose Hall/ Auditorium	प्रथम चार घंटों तक न्यूनतम रु. 1500/- और इसके बाद प्रति घंटा रु. 300/-अतिरिक्त Min. Rs. 1500/- up to 4 hrs Rs. 300/- for every additional hour.	रु./ Rs.350/-	रु./ Rs. 3000/-
तीन तरफ से खुला हुआ हॉल (प.ऊ. के.वि.-6 की तरह) 3 side open Hall (like AECS-6)	प्रथम चार घंटों तक न्यूनतम रु. 1000/- और इसके बाद प्रति घंटा रु. 200/- अतिरिक्त Minimum Rs. 1000/- upto 4 hours Rs.200/- for every additional hour	रु./ Rs. 250/-	रु./ Rs. 2500/-
मैदान/ Playground	रु. 1500/- प्रति दिन Minimum Rs.1500/- per day	रु./ Rs.1000/-	रु./ Rs. 3000/-
प.ऊ.क.म.वि., मंबई का प्रेक्षागृह (एसी सहित) AEJC, Mumbai Auditorium (with AC)	प्रथम चार घंटों तक न्यूनतम रु. 3000/- और इसके बाद प्रति घंटा रु. 600/- अतिरिक्त Min. Rs.3000/- upto 4 hrs. Rs. 600/- for every additional hour	रु./ Rs. 600/-	रु./ Rs. 6000/-

1. वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए विद्यालय परिसरों के उपयोग की सामान्यत: अनुमति नहीं होगी।
1. Use of School premises for commercial purpose will not normally be permitted.

2. निम्नलिखित श्रेणियों के लिए दरें उपरोक्त दरों का 1.5 गुणा होंगी-

Rates shall be 1.5 times of the above rates for the following categories :

क. प.ऊ.वि. कर्मचारियों के संगठनों/संघों द्वारा आयोजित अन्य किसी प्रकार के कार्यक्रम (शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/ खेल-कूद गतिविधियों को छोड़कर)

a) Any other type of programme (other than academic, cultural/sports) conducted by Organization/Association of DAE employees.

b) प.ऊ.वि. की सभी यूनिटों के कर्मचारियों व उनके परिवारों द्वारा उपयोग के लिए

a) For use of employees and their families of all DAE units.

3. यदि विद्यालय परिसर का प्रस्तावित उपयोग मुख्यत: विद्यालय/ कनिष्ठ महाविद्यालय विद्यार्थियों के प्रशिक्षण लाभ उद्देश्य के लिए है तो मामला दर मामला आधार पर बिजली, भाड़ा प्रभार आदि पर 25% की छूट लागू होगी जिसका निर्णय परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था द्वारा किया जायेगा।

If the proposed utilization of school premises is for a purpose involving training of School/College students as the major beneficiaries, then a reduction of upto 25% on the electricity, rental charges etc. may be applicable on case to case basis which will be decided by AEES.

4. यदि उपयोग के दौरान विद्यालय परिसर/भवन को कोई क्षति पहुंचती है तो यह क्षतिपूर्ति प्रतिभूति जमा राशि से की जायेगी।

Damage, if any occurs to school premises/building, while using the school premises, the cost will be recovered from the Security Deposit.

5. संगठन जो सुविधाओं को पारस्परिक आधार पर प्राप्त कर रहा है/प्रदान की गई हैं, के संबंध में उपयोग प्रभार कम करने अथवा आंशिक/ पूर्ण छूट देने की शक्ति अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था होगी।

In respect of an organization where facilities are being availed/extended on reciprocal basis, Chairman, AEES, is empowered either to reduce the user charges or waive partially/fully to such organization.

6. विद्यालय परिसर की बुकिंग और उपयोग प्रभारों का भुगतान कर दिए जाने के बाद जहां कहीं भी निर्धारित कार्यक्रम निरस्त होने पर संगठनों के उपयोग प्रभार वापस करने हैं, परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था/संबंधित परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय द्वारा पड़ताल की जायेगी कि क्या ऐसे उपयोगकर्ता ने एक वित्तीय वर्ष में अपनी बुकिंग का कम से कम 90% तक विद्यालय परिसर उपयोग कर लिया है। यदि बुकिंग का 90% तक विद्यालय परिसर उपयोग कर लिया गया है तो आयोजित नहीं किए जा सकने वाले निर्धारित कार्यक्रम के लिए उपयोग प्रभारों की वापसी हेतु उपयोगकर्ता के अनुरोध पर विचार किया जा सकता है।

Wherever the user charges are to be refunded to the Organizations on cancellation of any scheduled programme after booking the school premises and after payment of user charges, it shall be examined by AEES/respective AEC Schools whether such user has utilized the school premises at least up to 90% of its booking during a financial year. If the school premises are utilized up to 90% of its booking, the request of user for refund of user charges for the scheduled programmes which could not be conducted can be considered.

7. सरकारी कार्यक्रम आयोजनों के लिए प.ऊ.वि. की यूनिटों से कोई प्रतिभूति जमा राशि नहीं ली जायेगी।

No security deposit will be collected from unit of DAE for conducting official programme.